

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या - 670/2021  
अनवान : -

1. वेद प्रकाश पुत्र बीरबलराम जाति ब्राहमण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. हनुमान प्रसाद पुत्र बीरबलराम जाति ब्राहमण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
2. कृष्ण कुमार पुत्र बीरबलराम जाति ब्राहमण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
3. सुरेन्द्र कुमार पुत्र बीरबलराम जाति ब्राहमण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
4. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र बीरबलराम जाति ब्राहमण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
5. गोतम पुत्र ख्यालीराम जाति ब्राहमण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
6. तुलसी
7. मोहनी } पुत्रियान ख्यालीराम जाति ब्राहमण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
8. मैना }
9. सरोज पुत्री स्व० विमला पुत्री बीरबलराम जाति ब्राहमण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
10. मंजू पुत्री स्व० सरला पुत्री बीरबलराम जाति ब्राहमण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
11. रामप्रकाश
12. सतीश
13. कमलेश
14. बिमला
15. रामेती
16. बलवन्त
17. कृष्ण कुमार
18. इन्दू
19. डाला
20. राजो
21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त०  
अधि० 1955

उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी  
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 08/01/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 14 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 68/45 की कुल तादादी 12.1440 है० कृषि भूमि स्थित है जिसमें वादी के दादा हुन्ता पुत्र सुखराम जाति ब्राह्मण: निवासी रामगढ़ तहसील नोहर संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार थे इसी प्रकार से रोही मौजा 13 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 59/61 की कुल तादादी 9.108 है० भूमि स्थित है जिसमें वादी के दादा हुन्ता पुत्र सुखराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार थे एवं रोही मौजा 16 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 105/91 की कुल तादादी 8.2330 है० भूमि स्थित है जिसमें वादी के दादा हुन्ता पुत्र सुखराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर खातेदार काश्तकार थे एवं रोही मौजा 11

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

Rahul

बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 574/544 की कुल तादादी 11.8910 है० भूमि स्थित है एवं रोही मौजा 11 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 561/530 की कुल तादादी 1.518 है० भूमि स्थित है जिसमें वादी के दादा हुन्ता पुत्र सुखराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर खातेदार काश्तकार थे।

वादी के दादा हुन्ता पुत्र सुखराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर फोट हो चुके है बाद फोटदगी उपरोक्त कृषि भूमि उनके वारिसान वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 20 उत्तराधिकारी है तथा वादग्रस्त कृषि भूमि में उनके वारिसान ख्यालीराम, बीरबलराम, नारायणी एवं रोशनी के नाम दर्ज थी एवं ख्यालीराम एवं बीरबलराम फोट हो चुके है तथा उनकी मृत्यु के पश्चात उपरोक्त कृषि भूमि उनके वारिसान के नाम दर्ज हो चुकी है तथा जमाबंदी में दर्ज नारायणी एवं रेशमी भी फोट हो चुकी है रेशमी के वारिसान प्रतिवादी संख्या 11 ता 14 है तथा नारायणी के वारिसान प्रतिवादी संख्या 19 ता 20 तथा वादी की बहिन विमला एवं सरला भी फोट हो चुकी है तथा विमला के वारिस प्रतिवादी संख्या 9 सरोज तथा सरला के वारिस प्रतिवादी संख्या 10 मन्जू है। वादी के दादा हुन्ता पुत्र सुखराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर की फोटदगी के बाद उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि का विरास्तन नामान्तरा दर्ज हो चुका है तथा वादी की बहिन रोशनी एवं नारायणी फोट हो चुकी है तथा प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 20 जो कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के परिवार सदस्य यानी बहने पारिवारिक सदस्यों से अत्यधिक नेह छे पर्व, गोड रखते है तथा उपरोक्त कृषि भूमि में जितना भी हक व हिस्सा था यह वादी स प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पक्ष में परित्याग कर दिया है यानी अपने हक व हिस्से की कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पक्ष में परित्याग कर दिया है इसलिए रोही मौजा 11 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 574/444 की कुल तादादी 11.8910 है० भूमि में से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ब० हि० ब० 7.9273 है० भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 3.9637 है० भूमि के खातेदार काश्तकार रहेंगे एवं रोही मौजा 11 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 561/530 की कुल तादादी 1.518 है० भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 ब० हि० ब० 1.0120 है० भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 0.5060 है० भूमि के खातेदार काश्तकार रहेंगे तथा रोही मौजा 16 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 105/91 की कुल तादादी 8.2330 है० भूमि में संयुक्त तौर से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ब० हि० ब० 1.8288 है० एक प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 0.9155 है० भूमि के खातेदार काश्तकार रहेगे एवं रोही मौजा 13 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 59/61 की कुल तादादी 9.1080 है० भूमि में संयुक्त रूप से वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 ब० हि० ब० 2.024 है० भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 1.0120 है० भूमि के खातेदार काश्तकार रहेंगे एवं रोही मौजा 14 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 58/45 की कुल तादादी 12.1440 है० भूमि में संयुक्त रूप से वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 4 ब० हि० ब० 2.6987 है० भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 1.3493 है० भूमि के खातेदार काश्तकार रहेगे इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

Lahur

उपरोक्त अधिकारी  
नोहर

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी हैं। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 4 व 11 ता 20 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 व 11 ता 20 को कोई ऐतराज नहीं है। शेष प्रतिवादीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नहीं अतः एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 21 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वादी के दादा हुन्ता पुत्र सुखराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर फोट हो चुके हैं बाद फोटदगी उपरोक्त कृषि भूमि उनके वारिसान वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 20 उत्तराधिकारी है तथा वादग्रस्त कृषि भूमि में उनके वारिसान ख्यालीराम, बीरबलराम, नारायणी एवं रोशनी के नाम दर्ज थी एवं ख्यालीराम एवं बीरबलराम फोट हो चुके हैं तथा उनकी मृत्यु के पश्चात उपरोक्त कृषि भूमि उनके वारिसान के नाम दर्ज हो चुकी है तथा जमाबंदी में दर्ज नारायणी एवं रेशमी भी फोट हो चुकी है रेशमी के वारिसान प्रतिवादी संख्या 11 ता 14 है तथा नारायणी के वारिसान प्रतिवादी संख्या 19 ता 20 तथा वादी की बहिन विमला एवं सरला भी फोट हो चुकी है तथा विमला के वारिस प्रतिवादी संख्या 9 सरोज तथा सरला के वारिस प्रतिवादी संख्या 10 मन्जू है। वादी के दादा हुन्ता पुत्र सुखराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर की फोटदगी के बाद उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि का विरास्तन नामान्तरा दर्ज हो चुका है तथा वादी की बहिन रोशनी एवं नारायणी फोट हो चुकी है तथा प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 20 जो कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के परिवार सदस्य यानी बहने पारिवारिक सदस्यों से अत्यधिक नेह छे पर्व, गोड रखते है तथा उपरोक्त कृषि भूमि में जितना भी हक व हिस्सा था यह वादी स प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पक्ष में परित्याग कर दिया है यानी अपने हक व हिस्से की कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पक्ष में परित्याग कर दिया है इसलिए रोही मौजा 11 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 574/444 की कुल तादादी 11.8910 है० भूमि में से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ब० हि० ब० 7.9273 है० भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 3.9637 है० भूमि के

उपरोक्त अधिकारी *Zahur*  
नोहर

खातेदार काश्तकार रहेंगे एवं रोही मौजा 11 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 561/530 की कुल तादादी 1.518 है० भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 ब० हि० ब० 1.0120 है० भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 0.5060 है० भूमि के खातेदार काश्तकार रहेंगे तथा रोही मौजा 16 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 105/91 की कुल तादादी 8.2330 है० भूमि में संयुक्त तौर से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ब० हि० ब० 1.8288 है० एक प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 0.9155 है० भूमि के खातेदार काश्तकार रहेगे एवं रोही मौजा 13 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 59/61 की कुल तादादी 9.1080 है० भूमि में संयुक्त रूप से वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 ब० हि० ब० 2.024 है० भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 1.0120 है० भूमि के खातेदार काश्तकार रहेंगे एवं रोही मौजा 14 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 58/45 की कुल तादादी 12.1440 है० भूमि में संयुक्त रूप से वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 4 ब० हि० ब० 2.6987 है० भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 1.3493 है० भूमि के खातेदार काश्तकार रहेगे इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी स० 1 लगायत 4 व 11 ता 20 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा हुन्ता के अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है वादी का कथन है कि वादी के दादा हुन्ता पुत्र सुखराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर फोट हो चुके हैं बाद फोटदगी उपरोक्त कृषि भूमि उनके वारिसान वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 20 उत्तराधिकारी है तथा वादग्रस्त कृषि भूमि में उनके वारिसान ख्यालीराम, बीरबलराम, नारायणी एवं रोशनी के नाम दर्ज थी एवं ख्यालीराम एवं बीरबलराम फोट हो चुके हैं तथा उनकी मृत्यु के पश्चात उपरोक्त कृषि भूमि उनके वारिसान के नाम दर्ज हो चुकी है तथा जमाबंदी में दर्ज नारायणी एवं रेशमी भी फोट हो चुकी है रेशमी के वारिसान प्रतिवादी संख्या 11 ता 14 है तथा नारायणी के वारिसान प्रतिवादी संख्या 19 ता 20 तथा वादी की बहिन विमला एवं सरला भी फोट हो चुकी है तथा विमला के वारिस प्रतिवादी संख्या 9 सरोज तथा सरला के वारिस प्रतिवादी संख्या 10 मन्जू है। वादी के दादा हुन्ता पुत्र सुखराम जाति ब्राह्मण निवासी रामगढ़ तहसील नोहर की फोटदगी के बाद उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि का विरास्तन नामान्तरा दर्ज हो चुका है तथा वादी की बहिन रोशनी एवं नारायणी फोट हो चुकी है तथा प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 20 जो कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के परिवार सदस्य यानी बहने पारिवारिक सदस्यों से अत्यधिक नेह छे पर्व, गोड रखते है तथा

उपरोक्त अधिकारी  
बोहर  
Lalul

उपरोक्त कृषि भूमि में जितना भी हक व हिस्सा था यह वादी स प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पक्ष में परित्याग कर दिया है यानी अपने हक व हिस्से की कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पक्ष में परित्याग कर दिया है इसलिए रोही मौजा 11 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 574/444 की कुल तादादी 11.8910 है० भूमि में से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ब० हि० ब० 7.9273 है० भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 3.9637 है० भूमि के खातेदार काश्तकार रहेंगे एवं रोही मौजा 11 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 561/530 की कुल तादादी 1.518 है० भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 ब० हि० ब० 1.0120 है० भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 0.5060 है० भूमि के खातेदार काश्तकार रहेंगे तथा रोही मौजा 16 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 105/91 की कुल तादादी 8.2330 है० भूमि में संयुक्त तौर से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ब० हि० ब० 1.8288 है० एक प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 0.9155 है० भूमि के खातेदार काश्तकार रहेगे एवं रोही मौजा 13 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 59/61 की कुल तादादी 9.1080 है० भूमि में संयुक्त रूप से वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 ब० हि० ब० 2.024 है० भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 1.0120 है० भूमि के खातेदार काश्तकार रहेंगे एवं रोही मौजा 14 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 58/45 की कुल तादादी 12.1440 है० भूमि में संयुक्त रूप से वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 4 ब० हि० ब० 2.6987 है० भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 1.3493 है० भूमि के खातेदार काश्तकार रहेगे इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी स० 1 ता 4 व 10 ता 21 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 11 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 574/444 की कुल तादादी 11.8910 है० भूमि में से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को ब० हि० ब० 7.9273 है० भूमि का एवं प्रतिवादी संख्या 5 को 3.9637 है० भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 11 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 561/530 की कुल तादादी 1.518 है० भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को ब० हि० ब० 1.0120 है० भूमि का एवं प्रतिवादी संख्या 5 को 0.5060 है० भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 16 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 105/91 की कुल तादादी 8.2330 है० भूमि में संयुक्त तौर से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को ब० हि० ब० 1.8288 है० भूमि का एवं प्रतिवादी संख्या 5 को 0.9155 है० भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 13 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 59/61 की कुल तादादी 9.1080 है० भूमि में संयुक्त रूप से वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को ब० हि० ब० 2.024 है० भूमि का एवं प्रतिवादी संख्या 5 को 1.0120 है० भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 14 एनटीआर

उपस्थित अधिकारी  
नोहर  
Rahul

तहसील नोहर के खाता संख्या 58/45 की कुल तादादी 12.1440 है० भूमि में संयुक्त रूप से वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 4 को ब० हि० ब० 2.6987 है० भूमि का एवं प्रतिवादी संख्या 5 को 1.3493 है० भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 08/01/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

*Rahul*  
(राहुल श्रीवास्तव L.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई०ए०एस०)  
प्रकरण संख्या - 670/2021

अनवान : -

1. वेद प्रकाश पुत्र बीरबलराम जाति ब्राहमण निवासी रामगढ तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. हनुमान प्रसाद पुत्र बीरबलराम जाति ब्राहमण निवासी रामगढ तहसील नोहर।
2. कृष्ण कुमार पुत्र बीरबलराम जाति ब्राहमण निवासी रामगढ तहसील नोहर।
3. सुरेन्द्र कुमार पुत्र बीरबलराम जाति ब्राहमण निवासी रामगढ तहसील नोहर।
4. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र बीरबलराम जाति ब्राहमण निवासी रामगढ तहसील नोहर।
5. गोतम पुत्र ख्यालीराम जाति ब्राहमण निवासी रामगढ तहसील नोहर।
6. तुलसी
7. मोहनी } पुत्रियान ख्यालीराम जाति ब्राहमण निवासी रामगढ तहसील नोहर।
8. मैना }
9. सरोज पुत्री स्व० विमला पुत्री बीरबलराम जाति ब्राहमण निवासी रामगढ तहसील नोहर।
10. मंजू पुत्री स्व० सरला पुत्री बीरबलराम जाति ब्राहमण निवासी रामगढ तहसील नोहर।
11. रामप्रकाश
12. सतीश
13. कमलेश
14. विमला
15. रामेती
16. बलवन्त
17. कृष्ण कुमार
18. इन्दू
19. डाला
20. राजो
21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955


राजस्व वाद संख्या 659 सन 2025 निर्णय दिनांक 08/01/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 11 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 574/444 की कुल तादादी 11.8910 है० भूमि में से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को ब० हि० ब० 7.9273 है० भूमि का एवं प्रतिवादी संख्या 5 को 3.9637 है० भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 11 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 561/530 की कुल तादादी 1.518 है० भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को ब० हि० ब० 1.0120 है० भूमि का एवं प्रतिवादी संख्या 5 को 0.5060 है० भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 16 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 105/91 की कुल तादादी 8.2330 है० भूमि में संयुक्त

Rahul  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

तौर से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को ब० हि० ब० 1.8288 है० भूमि का एवं प्रतिवादी संख्या 5 को 0.9155 है० भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 13 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 59/61 की कुल तादादी 9.1080 है० भूमि में संयुक्त रूप से वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को ब० हि० ब० 2.024 है० भूमि का एवं प्रतिवादी संख्या 5 को 1.0120 है० भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 14 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 58/45 की कुल तादादी 12.1440 है० भूमि में संयुक्त रूप से वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 4 को ब० हि० ब० 2.6987 है० भूमि का एवं प्रतिवादी संख्या 5 को 1.3493 है० भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 08/01/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर